न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 335 / 2022
आरसीएमएस नं.:—2022 / 335

सुलतानराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट उम्र 83 वर्ष निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। ——अपीलार्थी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी रामकोट तहसील व जिला फाजिल्का, पजाब।
2. सैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट निवासी रामकोट तहसील व जिा फाजिल्का पंजाब।
3. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। —— रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
दनांक 30.06.2022 व 21.09.2021 प्र. सं. 161 / 2022
अनवान सुलतानराम बनाम नन्दराम आदि

श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री शैलेन्द्र बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2
श्री खुशकरण सिंह, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3

निर्णय दिनांक 14.XI.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत पेश किया। जिसके साथ धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना—पत्र भी पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया। प्रार्थना–पत्र में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि को जद्दी जायदाद बताते हुए रकबा दो चकों व कई खातों के कारण प्रत्येक के पक्ष में प्रत्येक जगह काश्त करना खर्चीला व असंभव हो गया था इस कारण वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने काश्त की सहूलियत, अच्छी मंदी व हक व हिस्सा अनुसार 30 वर्ष पूर्व मौखिक रूप से घरेलू बंटवारा कर लिया था। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी के हिस्सा में चक 16 एमओडी व चक 23 जे.आर.के.–ए का रकबा स्वयं के नाम व प्रतिवादी सं0 1 नन्दराम व उसके पुत्र सैलेन्द्र कुमार के नाम का रकबा हिस्सा में आया व गांव रामकोट तहसील व जिला फाजिल्का का रकबा जो मुझ वादी के नाम था वह प्रतिवादी सं0 1 नन्दराम के हिस्सा में आया। बंटवारा के अनुसार अपने हक व हिस्सा पर काबिज हैं व उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि उसके हिस्से में आई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नाम दर्ज करवा ले इसके लिए ब्यान कर दो ताकि राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम दर्ज हो सके। परन्तु प्रतिवादीगण मौखिक घरेलू बंटवारा को नहीं माना, रकबा ज्यादा उपजाउ है इसलिए हम अपना हिस्सा यही रखें तथा अब इस पर जबरन कब्जा काश्त करेंगे। यदि प्रतिवादीगण प्रश्गनत भूमि को रहन बैय कर देते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया जावे।

2. विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.06.2022 के द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया एवं दिनांक 21.09.2022 को अप्रार्थी ने 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश हुआ, जिसके जवाब हेतु पत्रावली में आगामी पेशी 05.10.2022 दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में यह अनुतोष चाहा था कि प्रश्नगत भूमि को रेस्पोडेण्ट रहन बैय व अन्य किसी तरीके से मुन्तकिल नहीं करें व स्वयं अथवा जरायम पेशा लोगों की मदद से कब्जा करने की कोशिश ना करे व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अपीलाण्ट के सम्पति के अधिकारें को ही सुरक्षित करना है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष हैं। इसलिए स्थगन दिया आवश्यक था। मौका कमिश्नर रिपोर्ट लिये जाने के आदश पारित किये हैं जो कतई गलत है। किस स्थिति को ज्ञात करने हेतु मौका कमिश्नर की आवश्यकता था इस संबंध में कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कोई विवेचन नहीं किया गया है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट आने के बाद भी अधीनस्थ न्यायलाय ने कोई आदेश पारित नहीं किया। तहसीलदार ने मिथ्या रूप से बिना किसी अधिकारिता के प्रश्नगत भूमि पर कब्जा रेस्पोडेण्ट का होना दर्शाया अधीनस्थ न्यायलय ने इस बिन्दू को नजरअन्दाज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बार बार निवेदन के बावजूद रहन बैय व मुन्तकिल व कब्जा के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है। दिनांक 30.06.2022 में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित न करने व मौका कमिश्नर नियुक्त करने की हद तक व दिनांक 21.09.2022 में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न करने की हद तक अपास्त करने हेतु है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 10.08.2022 को प्रस्तुत की है उसके क्र. सं. 1 में सलेन्द कुमार पुत्र नन्दराम की खरीदशुदा कृषि भूमि दर्शायी है तथा मोका पर रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि पर केसीसी बना रखी है तथा पानी की बारी भी प्रार्थी के नाम है। रिपोर्ट में नायब तहसीलदार ने सुलतान पुत्र कृपाराम की काश्त है, सुलतानराम पुत्र कृपाराम नाम का कोई व्यक्ति खातेदार नहीं है। चक 23 जे. आर.के. के खाता सं0 15/32 में कृपाराम पुत्र नत्थूराम वगैरा संयुक्त खाता में 17.710 है0 खातेदारी भूमि है उक्त भूमि खरीदशुदा भूमि है। जिसमें नन्दराम पुत्र नत्थुराम का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा मौका पर कब्जा काश्त है। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट में कृपाराम पुत्र नत्थूराम की काश्त है जबकि कृपाराम फौत हो चुका है। उक्त रिपोर्ट में काफी कटिंग कर रखी है जिसमें सुलतान पुत्र कृपाराम के स्थान पर सुलतान पुत्र नानूराम दर्ज कर रखा है। रकबे में भी कटिंग कर रखी है। विचारण न्यायलाय ने समस्त तथ्यों का अवलोकन कर प्रकरण में स्थगन आदेश नहीं बढाया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने के धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 30.06.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश दिये गये। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की तारीख दिनांक 21.09.2022 को धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश हुआ जिसमें भी स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कोई आदेश पारित नही किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध है। चूंकि उभयपक्ष के मध्य प्रश्नगत भूमि पर हक हिस्से के संबंध में विवाद है, जिसका निर्धारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मूल वाद में तय होना है। उभयपक्ष के मध्य वाद की बहुलता न हो तथा उभयपक्षों के हक अधिकार सुरक्षित रहें ऐसी स्थिति में प्रकरण में अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाने योग्य है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः स्थगन आदेश पर अंतिम निर्णय 30 दिवस में पारित करे।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाने योग्य है कि उभयपक्ष को सुनकर स्थगन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीक्ट पर 30 दिवस अथवा दिनांक 21.12.2022 तक अंतिम निर्णय पारित करे। दिनांक 21.12.2022 तक उभय पक्ष प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.11.2022 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.11.22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़